



कोकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)

सीआईएन: यू35201 एमएच 1990 जीओआई 223738

पंजीकृत कार्यालय: बेलापुर भवन, सेक्टर 11, प्लॉट नं. 6, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई -
400614, महाराष्ट्र

जोखिम प्रबंधन नीति

(6 मार्च, 2025 को आयोजित 187 वीं बोर्ड बैठक में अनुमोदित)

प्रस्तावना

हर संगठन को अपने कामकाज में ऐसे जोखिमों का सामना करना पड़ता है जो प्रकृति में निहित होते हैं। कोई भी संगठन जोखिम-मुक्त वातावरण में काम नहीं करता है। बस इतना है कि जोखिम व्यक्तिपरक होते हैं और संगठन दर संगठन अलग-अलग होते हैं।

इसलिए हर संगठन के लिए यह ज़रूरी है कि वह प्रत्याशित जोखिमों का सामना करने के लिए तैयार रहे। इसलिए संगठनों के पास जोखिम प्रबंधन नीति होनी चाहिए, जिसमें उन जोखिमों और चुनौतियों को ध्यान में रखा जाए जिनका वे सामना कर सकते हैं। इस प्रकार, प्रबुद्ध संगठन अपने खतरों और जोखिमों को पहले से ही अच्छी तरह से समझ लेते हैं और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए अच्छी तरह से तैयार रहते हैं।

परिचय

केआरसीएल (जिसे "कंपनी" या "निगम" भी कहा जाता है) की स्थापना 1990 में भारत सरकार द्वारा एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के रूप में की गई थी, जिसमें भारत सरकार (रेल मंत्रालय के माध्यम से), महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और गोवा सरकार की इक्विटी भागीदारी थी। इस विशेष प्रयोजन वाहन को बनाने का मुख्य उद्देश्य भारत के पश्चिमी तट के साथ मध्य रेलवे पर रोहा को दक्षिणी रेलवे पर मंगलोर से जोड़ने वाली रेलवे लाइन का निर्माण करना था।

परियोजना चरण के पूरा होने के बाद, केआरसीएल का मुख्य व्यवसाय रेलवे संचालन के अलावा निगम के लिए अतिरिक्त आय उत्पन्न करने के लिए बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शुरू करना है। इसलिए, केआरसीएल के लिए बताए गए मुख्य उद्देश्य हैं: -

- रेल परिचालन:-

उपयोगकर्ता संतुष्टि को अधिकतम करने के लिए सुरक्षित, समयनिष्ठ और किफायती यात्री एवं माल परिवहन उपलब्ध कराना।

- मूलढांचा परियोजनाएं: -

विश्व स्तरीय मानक की चुनौतीपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के समय पर वितरण में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए निगम की प्रतिभा और अनुभव का लाभ उठाना।

नीति के उद्देश्य

इस नीति का मुख्य उद्देश्य स्थिरता के साथ सतत व्यावसायिक विकास सुनिश्चित करना और व्यवसाय से जुड़े जोखिमों की रिपोर्टिंग, मूल्यांकन और समाधान में सक्रिय दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। मुख्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, नीति जोखिम प्रबंधन के लिए एक संरचित और अनुशासित दृष्टिकोण स्थापित करती है, ताकि जोखिम से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेने में मार्गदर्शन मिल सके। जोखिम प्रबंधन नीति के विशिष्ट उद्देश्य हैं: -

क. यह सुनिश्चित करना कि कंपनी के सभी वर्तमान और भविष्य के भौतिक जोखिम जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन, मात्रा निर्धारण, उचित रूप से कम करने और प्रबंधित किया जाए।

ख. कंपनी की जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के लिए एक रूपरेखा स्थापित करना और सभी उचित स्तरों पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।

ग. रेलवे परिचालन और निर्माण परियोजनाओं से संबंधित जोखिमों का व्यवस्थित और एकसमान मूल्यांकन सुनिश्चित करना।

घ. वित्तीय स्थिरता के साथ व्यापार विकास सुनिश्चित करना।

जोखिम प्रबंधन नीति

विनियामक आवश्यकता:

निगम, एक उच्च मूल्य ऋण सूचीबद्ध इकाई होने के नाते, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 21 और इसके संशोधनों का अनुपालन करने के लिए अपेक्षित है, जो सूचीबद्ध इकाई द्वारा जोखिम प्रबंधन समिति के गठन का प्रावधान करता है और जोखिम प्रबंधन समिति की प्राथमिक भूमिका में अन्य बातों के साथ-साथ जोखिम प्रबंधन नीति तैयार करना शामिल है, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे: -

- (i) सूचीबद्ध इकाई द्वारा विशेष रूप से सामना किए जाने वाले आंतरिक और बाह्य जोखिमों की पहचान के लिए एक ढांचा, जिसमें विशेष रूप से वित्तीय, परिचालन, क्षेत्रीय, स्थिरता (विशेष रूप से, ईएसजी से संबंधित जोखिम), सूचना, साइबर सुरक्षा जोखिम या समिति द्वारा निर्धारित कोई अन्य जोखिम शामिल हो सकते हैं।
- (ii) पहचाने गए जोखिमों के आंतरिक नियंत्रण के लिए प्रणालियों और प्रक्रियाओं सहित जोखिम शमन के उपाय।
- (iii) व्यवसाय निरंतरता योजना।

विनियामक आवश्यकता का अनुपालन करने और एकीकृत जोखिम प्रबंधन ढांचे के विकास के लिए एक मजबूत आधार तैयार करने के लिए, जोखिम प्रबंधन नीति नीचे दी गई है: -

क. सभी जोखिमों की पहचान, आकलन, शमन, निगरानी, मूल्यांकन और रिपोर्टिंग के लिए एक एकीकृत जोखिम प्रबंधन ढांचे की स्थापना के माध्यम से सभी हितधारकों के मूल्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना।

ख. संगठन के सभी स्तरों पर सूचित निर्णय लेने के लिए स्पष्ट और मजबूत आधार प्रदान करना।

ग. निरंतर सीखने और सुधार के माध्यम से जोखिम प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में लगातार प्रयास करना।

इस नीति का उद्देश्य व्यवसाय की निरंतरता सुनिश्चित करना तथा निवेशकों और सभी हितधारकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है और इस प्रकार कंपनी के भीतर की सभी गतिविधियों और कंपनी के बाहर की घटनाओं को कवर करने का प्रयास किया जाता है, जिनका कंपनी के व्यवसाय पर असर पड़ता है। यह नीति अन्य व्यवसाय और परिचालन/प्रशासनिक नीतियों के साथ मिलकर काम करेगी।

नियम और जिम्मेदारियाँ

उपरोक्त नीति को कार्यान्वित करने के लिए, उद्यम जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित भूमिकाएं और जिम्मेदारियां निर्धारित की गई हैं:

निदेशक मंडल

निदेशक मंडल जोखिम प्रबंधन समिति का गठन करेगा जिसमें बोर्ड के सभी कार्यात्मक निदेशक शामिल होंगे, जिनके पास यह सुनिश्चित करने की समग्र जिम्मेदारी होगी कि जोखिमों की पहचान की जाए और उनका प्रबंधन किया जाए। इस भूमिका को समग्र कारोबारी माहौल और कंपनी के उद्देश्यों के अनुरूप कंपनी के जोखिम का आकलन करने, संभावित जोखिमों की पहचान करने और चल रहे परिचालन और परियोजनाओं पर उनके प्रभाव का आकलन करने, आंके गए जोखिमों के लिए प्रतिक्रिया रणनीति विकसित करने, कार्यान्वयन स्तर पर प्रतिक्रिया रणनीति का प्रसार करने और उसके कार्यान्वयन, जोखिम प्रबंधन प्रभावशीलता पर निगरानी और फीडबैक जैसी गतिविधियों के माध्यम से निभाया

जा सकता है।

जोखिम प्रबंधन समिति

जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) को बोर्ड द्वारा सौंपे गए कार्यों को करते समय बोर्ड को यह आश्वासन देना होगा कि जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाएं प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं और प्रमुख जोखिमों को स्वीकार्य स्तर तक प्रबंधित किया जा रहा है। आरएमसी निम्नलिखित गतिविधियों के माध्यम से इन कार्यों को पूरा करेगी: -

- सर्वोत्तम व्यावसायिक प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए जोखिम क्षमता के संबंध में प्रमुख जोखिम वहन करने वाली गतिविधियों की पहचान:
 - मामूली,
 - महत्वपूर्ण या गंभीर,
 - पर्याप्त या प्रमुख।
- जोखिम-मूल्यांकन के लिए नियंत्रण प्रणालियाँ स्थापित करना।
- व्यवसाय संचालन प्रक्रियाओं के प्रारूपण/संशोधन तथा उनके दस्तावेजीकरण से संबंधित दिशा-निर्देश प्रदान करना।
- जोखिम मूल्यांकन रिपोर्टों की समीक्षा करना तथा सुधार के लिए निर्देश जारी करना।
- जोखिम रजिस्टर' बनाने/विकसित करने की आवश्यकता का आकलन करना।

जोखिम प्रबंधन समिति एक उपसमिति का गठन करेगी जिसे 'जोखिम प्रबंधन प्रकोष्ठ' कहा जाएगा, जिसके अध्यक्ष मुख्य जोखिम अधिकारी होंगे, तथा चयनित प्रधान विभागाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष इसके सदस्य होंगे तथा कंपनी सचिव इसके सचिव होंगे।

जोखिम प्रबंधन समिति का मिशन

आरएमसी का मिशन व्यावसायिक प्रक्रिया में निहित प्रमुख जोखिमों को कम करना है; जबकि उत्पादकता और दक्षता को बनाए रखना है। विभागाध्यक्ष और परियोजना प्रबंधक किसी भी संभावित जोखिम प्रबंधन/शमन के लिए एक समस्या निवारक के रूप में आरएमसी पर भरोसा कर सकते हैं। इस कार्य को करने में, आरएमसी निम्नलिखित गतिविधियाँ करेगा। विभागाध्यक्षों के साथ मिलकर व्यावसायिक प्रक्रिया में प्रक्रियाओं और संबंधित जोखिमों की पहचान करना।

- जोखिमों को मापने और प्रबंधित करने के लिए नवीनतम तरीकों की पहचान करना और सुझाव देना।
- डेटा की सटीकता के लिए निरंतर सत्यापन के लिए वित्त और लेखा परीक्षा के साथ समन्वय करना।
- मानक संचालन प्रक्रियाओं को डिजाइन करने में प्रमुख विभागाध्यक्षों / विभागाध्यक्षों के साथ सक्रिय भूमिका निभाना।

जोखिम प्रबंधन नीति के कार्यान्वयन और निगरानी की प्रक्रिया

जोखिम प्रकोष्ठ जोखिम प्रबंधन नीति के कार्यान्वयन में कार्यात्मक प्रमुखों का मार्गदर्शन करेगा, अपने संबंधित विभाग की रोजमर्रा की गतिविधियों में इसके कार्यान्वयन की निगरानी करेगा, परिचालनों के जोखिम प्रबंधन और संभावित जोखिम क्षेत्रों के बारे में जोखिम प्रबंधन समिति और निदेशक मंडल को फीडबैक देगा।

कार्यालय में प्रत्येक विभागाध्यक्ष तथा क्षेत्र में प्रत्येक परियोजना प्रबंधक द्वारा तैयार की

जाने वाली प्रक्रिया नियमावली, जोखिम प्रबंधन नीति के अनुरूप होनी चाहिए।

जोखिम संगठन संरचना

जोखिम प्रबंधन नीति को एक जोखिम प्रबंधन प्रकोष्ठ की स्थापना के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा, जिसमें मुख्य जोखिम अधिकारी और सदस्य के रूप में चयनित प्रधान विभागाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष तथा सचिव के रूप में कंपनी सचिव शामिल होंगे।

सिस्टम के प्रभावी रखरखाव के लिए निम्नलिखित कार्यवाहियों की आवश्यकता होगी:

क) मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) के मार्गदर्शन में जोखिम प्रबंधन प्रकोष्ठ, विशिष्ट व्यावसायिक जोखिम की पहचान करने और जोखिम के वास्तविक होने पर परिणामों के संदर्भ में जोखिम का विश्लेषण करने के लिए तिमाही में कम से कम एक बार बैठक करेगा।

ख) पहचाने गए सभी जोखिमों में से, जोखिम प्रबंधन प्रकोष्ठ प्रमुख जोखिमों और उनके शमन उपायों पर प्राथमिकता देगा और ध्यान केंद्रित करेगा, जैसा कि नीचे दिया गया है:

=

- संभावित परिणामों और प्रभाव की लागत के संदर्भ में पहचाने गए जोखिमों का मूल्यांकन किया जाएगा।
- जोखिमों को उनके संभावित प्रभाव के अनुसार रैंक किया जाएगा।
- प्रत्येक पहचाने गए जोखिम की स्वीकार्यता का मूल्यांकन किया जाएगा।
- प्रत्येक भौतिक जोखिम को समाप्त करने, कम करने या प्रबंधित करने

के लिए प्रस्तावित कार्रवाई पर विचार किया जाएगा और उस पर सहमति बनाई जाएगी।

- प्रत्येक जोखिम के प्रबंधन की जिम्मेदारियाँ उपयुक्त प्रबंधकों को सौंपी जाएँगी।

- अन्य रेलवे द्वारा अपनाए गए उपायों से सीखना।

सी) जोखिम मूल्यांकन जोखिमों और बाहरी कारकों के लागत लाभ विश्लेषण और इसके शमन की संभावना या अन्यथा के आधार पर किया जाएगा।

डी) चूंकि किसी भी व्यवसाय के जोखिम में लगातार बदलते वातावरण के कारण समय-समय पर परिवर्तन हो सकता है, इसलिए जोखिम धारणा को नियमित आधार पर अद्यतन किया जाएगा।

ई) जोखिम प्रकोष्ठ एक प्रमुख समूह होगा जो कंपनी के व्यवसाय के लिए जोखिमों को कम करने के लिए इस नीति में उल्लिखित जोखिम ढांचे के भीतर निरंतर आधार पर काम करेगा क्योंकि यह समय के साथ विकसित हो सकता है।

दस्तावेजीकरण और निगरानी

जोखिम प्रबंधन प्रकोष्ठ द्वारा उपर्युक्त अनुसार निगरानी और फीडबैक तंत्र स्थापित करने के लिए एक दस्तावेजीकरण प्रणाली निर्धारित की जाएगी।

'जोखिम रजिस्टर' या 'जोखिम मैट्रिक्स' में निम्नलिखित जानकारी होनी चाहिए:

क) जोखिम का विवरण।

ख) प्रभाव, यदि घटना वास्तव में घटित होती है।

ग) नियोजित प्रतिक्रिया का सारांश, यदि घटना घटित होती है।

घ) शमन योजना का सारांश (अर्थात, घटना की संभावना और/या प्रभाव को कम करने के लिए पहले से की गई कार्रवाई।

ड) जिम्मेदार कार्य/व्यक्ति

संगठन जोखिम

नीचे केआरसीएल के व्यवसाय से संबंधित जोखिमों की एक सांकेतिक सूची दी गई है, जिसका जोखिम प्रबंधन प्रकोष्ठ द्वारा अध्ययन किया जाना आवश्यक होगा तथा उन्हें कम करने के लिए प्रक्रियाएं निर्धारित की जाएंगी।

(ए) ट्रेन परिचालन:

- यातायात पैटर्न में बदलाव।
- माल ढुलाई को तर्कसंगत बनाने के लिए रेलवे बोर्ड की नीतियों में बदलाव
 - सरकारी नीतियों (निर्यात, आयात शुल्क, अन्य लाभ), कर छूट आदि में बदलाव।
- पर्यावरण कानूनों में बदलाव
- प्राकृतिक आपदाएँ
- यातायात में व्यवधान पैदा करने वाली दुर्घटनाएँ
 - वित्त
 - माल ढुलाई और यात्री शुल्क में परिवर्तन
 - स्टाफ लागत में परिवर्तन
 - ईंधन मूल्य निर्धारण / बिजली शुल्क में परिवर्तन
 - ब्याज दरों में परिवर्तन

- मानवीय संबंध

- औद्योगिक संबंध – संगठित श्रमिक आंदोलन और दबाव

- भर्ती, प्रशिक्षण, वेतन संरचना, डीएंडएआर, पदोन्नति, स्थानांतरण,

प्रतिभा प्रतिधारण से संबंधित मानव संसाधन नीतियां/कार्रवाइयां।

- कोई अन्य बाहरी कारक।

(बी) बुनियादी ढांचा परियोजनाएं

i) परियोजना लागत जोखिम में वृद्धि

ii) भूमि अधिग्रहण पर सरकारी विनियमन और नीतियों से संबंधित जोखिम।

iii) वित्तपोषण जोखिम

iv) उप-इष्टतम परियोजना चयन

v) संविदात्मक जोखिम

vi) मूल्य वृद्धि खंड

vii) कानूनी अनुपालन जोखिम

viii) परियोजना पूर्ण होने में देरी का जोखिम

ix) अनुचित ठेकेदार / आपूर्तिकर्ता चयन जोखिम

x) लोगों का जोखिम

xi) सूचना प्रौद्योगिकी जोखिम

xii) संप्रभु जोखिम

xiii) पर्यावरण जोखिम

xiv) 'अप्रत्याशित घटना'

xv) मध्यस्थता

xvi) कोई अन्य बाहरी कारक

नीति का अनुमोदन और समीक्षा

बोर्ड कंपनी की समग्र जोखिम प्रबंधन नीति के लिए अनुमोदन प्राधिकारी होगा। इसलिए, सीएमडी अनुपालन की निगरानी करेगा। यह नीति केआरसीएल में जोखिम प्रबंधन के लिए मार्गदर्शक दस्तावेज होगी और जोखिम प्रबंधन विनियमों / मानकों / सर्वोत्तम प्रथाओं में उचित रूप से होने वाले परिवर्तनों के कारण आवश्यकतानुसार इसकी समीक्षा की जाएगी।

निष्कर्ष

ऊपर दिए गए विवरण व्यापक रूप से विभिन्न जोखिमों को उजागर करते हैं जो अंतर्निहित हैं। इससे केआरसीएल को जोखिमों का काफी हद तक अनुमान लगाने और उन्हें कम करने के उपाय करने में मदद मिलेगी। ऊपर बताए गए जोखिम और दिशा-निर्देश केवल एक व्यापक रूपरेखा को दर्शाते हैं और निर्णायक नहीं हैं। जोखिम प्रबंधन समिति को हमेशा सतर्क रहना चाहिए और नए खतरों का अनुमान लगाना चाहिए जो ट्रेन संचालन या बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्रगति में बाधा डाल सकते हैं।

निदेशक मंडल द्वारा गठित जोखिम प्रबंधन समिति को नियमित रूप से नवीनतम जोखिमों के बारे में जानकारी/अद्यतन रखना चाहिए तथा उन्हें कम करने के तरीकों और साधनों के बारे में भी जानकारी देनी चाहिए, जिससे निदेशक मंडल आवश्यक और उचित निर्णय लेने में सक्षम हो सके। जोखिम प्रबंधन नीति एक सतत प्रक्रिया है और इसे आवश्यकतानुसार अद्यतन किया जाना चाहिए।
